

कार्यालय वन संरक्षक, आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 2296 / 14-1(145149/2021) आगरा, दिनांक, 29/11, 2021

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

विषय:- जनपद मथुरा में कोसीकला के पास स्थित कोकिला वन शनिधाम परिक्रमा मार्ग (मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण), मथुरा के द्वारा परिक्रमा मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 2.0112 हैक्टेयर आरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में।

संदर्भ :- भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, उ०प्र० लखनऊ की पत्र संख्या 8वी/यू०पी०/०६/२४१/२०२१/एफ०सी०/४५६ दिनांक 18.10.2021 एवं आपके कार्यालय का पत्रांक 1313/11सी-एफ०पी०/यू०पी०/रोड/145149/2021 दिनांक 22.10.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक प्रस्ताव में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा लगाई गई आपत्तियों का बिन्दुवार निराकरण कर सम्बन्धित अभिलेखों सहित आख्या प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा के पत्रांक 1968/14-1 दिनांक 25.11.2021 (संलग्न है) द्वारा इस कार्यालय को प्राप्त हुई है। प्राप्त आख्या के आधार पर आख्या निम्नवत् है :-

1.	Detailed muck calculation and muck disposal scheme as approved by concerned DFO needs to be submitted.	प्रश्नगत परियोजना के अन्तर्गत कोई भी मक डिस्पोजल की सामग्री उत्पत्ति नहीं होगी, जो कूड़ा-करकट उत्सर्जित होगा वह मार्ग निर्माण में ही प्रयोग कर लिया जायेगा। इस कारण मक डिस्पोजल हेतु कोई योजना तैयार नहीं की गयी है।
2.	Alternative alignments needs to be explored and depicted on toposheets, Proper justification needs to be provided for selection of said route and why forest land cannot be avoided?	प्रश्नगत परियोजना का क्षेत्र कोकिला वन शनिधाम परिक्रमा मार्ग का क्षेत्र है। जिसमें ग्राम समाज की भूमि के साथ आरक्षित वनभूमि का मार्ग भी उक्त मार्ग में समिलित है। शनिदेव मन्दिर की श्रद्धालुओं के द्वारा दी जाने वाली परिक्रमा के लिए कोई दूसरा क्षेत्र अवस्थित नहीं है। इस कारण से गैर वनभूमि व आरक्षित वनभूमि में प्रस्तावित परियोजना में श्रद्धालुओं को सुविधा प्रदान करने हेतु प्रस्तावित परियोजना के अनुसार वर्णित कार्य कराये जा रहे हैं।
4.	It appears from the satellite imageries that the Ashram is also in forest. This needs to be clarified and if it is not in forest then it needs to be supplemented by relevant records.	प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित हो रही वनभूमि पर कोई आश्रम/मठ स्थापित नहीं है। परिक्रमा मार्ग में गैर वनभूमि पर मठ स्थापित है जिसके खसरा खतौनी तथा मानचित्र की प्रमाणित प्रति संलग्नक-2 के रूप में संलग्न है।
5.	It is indicated that no tree felling is involved, however, satellites imageries indicate presence of denue vegetation, this needs clarification.	प्रश्नगत परियोजना में प्रभावित आरक्षित वनभूमि में कुछ वृक्ष अवस्थित खड़े हैं जिन्हें प्रस्तावित निर्माण कार्य में पातन हेतु शामिल नहीं किया गया है। उन वृक्षों को अवस्थित रखते हुए शनिदेव मन्दिर की परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को वृक्षों की छाया/बैठने इत्यादि के उपयोग में लिया जायेगा।
6.	The NFL provided for CA should be adjacent to forest block for case of management. Thus, revised area to be proposed for CA.	प्रश्नगत क्षतिपूरक वनीकरण हेतु जो भूमि प्रस्तावित की गयी है वह मादौर ग्राम पंचायत में आरक्षित वन गाटा संख्या-2866ग जिसका क्षेत्रफल 8.9625 है० है, की सीमा से लगी हुई है। उससे वांछित अभिलेख संलग्नक-3 के रूप में संलग्न है।
7.	As per the Google earth imageris dated 16.04.2021, agriculture activity has been observed on the proposed CA land area.	प्रश्नगत परियोजना के बदले में जो समतुल्य गैर वनभूमि खसरा संख्या-2866मि० में 2.0112 है० उपलब्ध करायी गयी भूमि पूर्व में किसानों द्वारा जोति जा रही थी जिसे हटाकर उक्त भूमि को क्षतिपूरक वनीकरण व वन विभाग के स्वामित्व हेतु उपलब्ध करायी जायेगी। वर्तमान में उक्त भूमि पर कोई विवाद नहीं है।

8.	Cadastral map of proposed CA land area needs to be submitted.	मादौर ग्राम पंचायत का केडिस्टल मैप की प्रमाणित प्रति संलग्नक-4 के रूप में संलग्न है।
----	---	--

इसके अतिरिक्त बिन्दु संख्या-3 की आख्या निम्न प्रकार है :-

3.	The certificate on page 56 is counter signed by DFO. It should be signed by the concerned authority.	त्रुटिवश प्रस्ताव के पृष्ठ संख्या-56 पर अंकित प्रमाण पत्र पर प्रतिहस्ताक्षरित कर दिया गया था। आपत्ति का निराकरण करते हुए सम्बन्धित प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर कर आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्नक-1 के रूप में संलग्न है।
----	--	--

अतः आख्या से सम्बन्धित अभिलेख 03-03 प्रतियों में संलग्न कर इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि प्राप्त प्रस्ताव पर अग्रेत्तर कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(राकेश चन्द्र)

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।

पत्रांक 2296 / समदिनांकित।

प्रतिलिपि प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, मथुरा को उनके पत्रांक 1968/14-1 दिनांक 25.11.2021 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता, मथुरा-वृन्दावन विकास प्राधिकरण, मथुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(राकेश चन्द्र)

वन संरक्षक,

आगरा वृत्त, आगरा।